बिहार सरकार
<u>शिक्षा विभाग।</u>

संकल्प

संचिका संख्या : 11/वि1–08/2013...1529 पटना, दिनांक ....11...अगस्त, 2015

विषय :– नियोजित प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के सेवा–शर्त्तों के निर्धारण के लिए समिति के गठन के संबंध में।

विभिन्न शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष संगठनों द्वारा नियोजित प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष को वेतनमान देने, उसके निर्धारण एवं सेवाशर्त्त की संरचना करने के संबंध में लम्बी अवधि से मांग की जा रही थी।

सरकार द्वारा नियोजित प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण एवं उनके सेवाशर्त्त निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में नियोजित प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के सेवाशर्त्त के संबंध में अलग से समिति गठन करने का निर्णय लिया गया।

प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवाशर्त्त अन्तर्गत सेवा निरन्तरता, ऐच्छिक स्थानान्तरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर, अनुशासनिक प्राधिकार एवं अन्य सेवा शर्त्तों के निर्धारण हेतु वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव/सचिव एवं प्रधान अपर महाधिवक्ता की एक समिति गठित किया जाता है।

उपरोक्त समिति में वरीयतम, प्रधान सचिव, अध्यक्ष एवं प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग इस समिति के सदस्य सचिव रहेंगे। यह समिति विस्तृत जाँच कर तीन माह के अन्दर अपनी अनुशंसा सरकार को समर्पित करेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 11/वि1–08/2013....1529 पटना, दिनांक ...11....अगस्त, 2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/प्रधान अपर महाधिवक्ता, माननीय पटना उच्च न्यायालय/आप्त सचिव, प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक प्राथमिक शिक्षा/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्/राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sankalp 14-15\Sankalp (Niyojit Teacher)15-16 - Copy.doc4